17
अध्याय

सरकारी काम–काज में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

17.1 हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 2014–15 के दौरान सरकारी कार्य में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रालय में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित कार्य राजभाषा के प्रभारी संयुक्त सचिव के पर्यवेक्षण में होता है। निदेशक (राजभाषा) के अधीन एक राजभाषा प्रभाग हैं जो संयुक्त सचिव को रिपोर्ट करते हैं।

सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इन उपायों का संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है।

17.2 राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का कार्यान्वयन

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसरण में, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जा रहे हैं। जांच–बिन्दुओं के आधार पर राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कार्य–योजना बनाई गई है। राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम और आदेशों/निदेशों को इस मंत्रालय के सभी अनुभागों तथा इसके अधीनस्थ/सम्बद्ध कार्यालयों/स्वायत्त संगठनों को सूचनार्थ अग्रेषित किया गया और इनका अनुपालन करने के लिए निदेश जारी किए गए।

17.3 विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओ.एल.आई.सी.)

मंत्रालय में राजभाषा प्रभारी संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है, जिसकी बैठकें प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। यह समिति राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य हासिल करने और मंत्रालय तथा इसके अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्त संगठनों में संघ की राजभाषा नीति के संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने के लिए कार्य–नीतियों की जांच करती है। यह समिति समय–समय पर राजभाषा (हिन्दी) के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा करती है और समुचित सुझाव देती है तथा राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करती है। मंत्रालय के अधीनस्थ/सम्बद्ध कार्यालयों/स्वायत्त संगठनों को भी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित करने के निदेश दिए गए हैं।

17.4 हिन्दी पखवाड़ा

मंत्रालय के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय में 15 से 30 सितम्बर, 2014 तक हिन्दी पखवाड़ा आयोजित किया गया। पखवाड़े के दौरान हिन्दी निबंध लेखन, हिन्दी टंकण,हिन्दी टिप्पण/प्रारूपण, हिन्दी सामान्य ज्ञान, हिन्दी श्रुतलेखन तथा स्वरचित कविता पाठ की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को 45 नकद पुरस्कार तथा प्रमाण–पत्र दिए गए।

17.5 राजभाषा सम्मेलन/राजभाषा संगोष्ठी

मंत्रालय ने भारत संघ की राजभाषा नीति का प्रचार–प्रसार करने और इसके प्रयोग के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यालयों में वार्षिक रूप से राजभाषा सम्मेलन आयोजित करने की नई पहल की है। इस पहल के अंतर्गत अब तक तीन सम्मेलन क्रमशः बैंगलोर, कुन्नूर और दिल्ली में आयोजित किए जा चुके हैं।

इसी क्रम में मंत्रालय ने वर्तमान वर्ष के दौरान चौथा राजभाषा सम्मेलन 29–30 दिसंबर, 2014 को एचएलएल लाइफ केयर लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया। इस दो–दिवसीय सम्मेलन में विविध कार्यालयों के प्रतिनिधियों और तिरुवनंतपुरम स्थित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) से जुड़े हिंदी अधिकारियों/कर्मचारियों ने भी भाग लिया।

इस सम्मेलन में उदघाटन के दिन तीन सत्र हुए, नामतः *'संघ की राजभाषा नीति', 'सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों की वाहिका हिंदी' तथा 'हिंदी और मलयालम का तुलनात्मक अध्ययन'*। दूसरे दिन भी तीन सत्र हुए नामतः *'कंप्यूटर में यूनिकोड का प्रयोग राजभाषा हिंदी के क्षेत्र में एक सफल प्रयोग', 'संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण प्रश्नावली भरने में ध्यान देने योग्य बातें'* तथा *'बदलते परिवेश में राजभाषा हिन्दी का स्वरूप'*। सम्मेलन का संचालन श्री राजेश श्रीवास्तव, सहायक निदेशक (रा.भा.) ने किया। विभिन्न सत्रों के मुख्य वक्ता थे – डॉ शैलेन्द्र कुमार, निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, श्री दिनेश कुमार पाण्डेय, निदेशक (रा.भा.), श्री रामनिवास शुक्ल, उप–निदेशक (रा.भा.), प्रो.सी.जी. राजगोपाल और श्री राजेश श्रीवास्तव, सहायक निदेशक (रा.भा.)। कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता डॉ. एम. अयप्पन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एचएलएल लाइफ केयर लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम ने की। श्री चरण सिंह, उप–निदेशक (राजभाषा) ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। सम्मेलन में प्रतिभागियों को प्रशस्ति–पत्र और प्रमाण–पत्र भी दिए गए। सम्मेलन अत्यधिक सफल रहा।

17.6 'प्रतिदिन एक शब्द'

मंत्रालय में पिछले कई वर्षों से ''प्रतिदिन एक शब्द'' नामक योजना चलाई जा रही है जो वर्ष के दौरान भी जारी रही। इस योजना के अंतर्गत विभाग के प्रथम तल और तृतीय तल, 'ए' विंग, निर्माण भवन में लगाए गए इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर प्रतिदिन एक हिंदी शब्द/वाक्यांश के साथ उसका अंग्रेजी समानार्थक शब्द/वाक्यांश प्रदर्शित किया जाता है। सामान्यतः ये शब्द/वाक्यांश प्रशासनिक व तकनीकी प्रकृति के होते हैं जिनका उपयोग प्रतिदिन सार्वजनिक कामकाज में किया जाता है।

17.7 हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित निरीक्षण

राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय के अधिकारियों ने कोलकाता, शिलांग, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी और दिल्ली कार्यालय स्थित अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन 18 अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण किया।